डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93] रायपुर, गुरुवार , दिनांक 17 मई 2001—वैशाख 27, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक 307/परिवहन/2001.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम में उक्त संशोधन का, जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा-65 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रस्तावित करती है, निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, रायपुर द्वारा डी.के.एस. भवन में कक्ष क्रमांक-209 में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार, द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियम में—

(1). नियम 55 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
''55-क पंजीयन चिन्ह का आवंटन'' :

(1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के आरक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण

प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आरक्षित करेगा :—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर चालू किसी भी सिरीज में 01 से 09 तक के रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आरक्षण हेतु रुपये 15,000/- (रुपये पंद्रह हजार) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए भुगतान करने पर आरक्षित किया जाएंगे.

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर चालू किसी भी सिरीज में 10 से 100 तक के रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आरक्षण हेतु रुपये 12,000/- (रुपये बारह हजार) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए भुगतान करने पर आरक्षित किए जावेंगे.

(ग) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह क्रमांक 101 से 9999 तक निम्नलिखित प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आरक्षण हेतु रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) भुगतान करने पर आरक्षित किया जायेगा. 101, 111, 123, 200,202, 222, 234, 300, 303, 333, 345, 400, 444, 456, 500, 505, 555, 567, 600, 606, 666, 678, 700, 707, 777, 786, 789, 800, 808, 888, 900, 909, 1000, 1001, 1010, 1011, 1111, 1112, 1212, 1213, 1221, 1234, 1313, 1314, 1331, 1414, 1415, 1441, 1515, 1516, 1551, 1616, 1617, 1661, 1717,1718, 1771, 1818, 1819, 1881, 1919, 1929, 1999, 2000, 2002, 2020, 2021, 2112, 2121, 2122, 2222, 2223, 2323, 2324, 2332, 2345, 2424, 2425, 2442, 2525, 2526, 2552, 2626, 2627, 2662, 2727, 2728, 2772, 2828, 2829, 2882, 2929, 2930, 2992, 3000, 3003, 3030, 3113, 3131, 3132, 3223, 3232, 3233, 3333, 3334, 3434, 3435, 3443, 3456, 3535, 3536, 3553, 3636, 3637, 3663, 3737, 3738, 3773, 3838, 3839, 3883, 3939, 3940, 3993, 4000, 4004, 4040, 4041, 4114, 4141, 4142, 4224, 4242, 4243, 4334, 4343, 4344, 4444, 4445, 4545, 4546,4554, 4567, 4646, 4647, 4664, 4747, 4748, 4774, 4848, 4849, 4884, 4949, 4950, 4994, 5000, 5005, 5050, 5051, 5115, 5151, 5152, 5225, 5252, 5253, 5335, 5353, 5354, 5454, 5455, 5555, 5556, 5657, 5665, 5678, 5757, 5758, 5775, 5858, 5859, 5885, 5959, 5960, 5995, 6000, 6006, 6060, 6061, 6116, 6161, 6162, 6263, 6226, 6262, 6336, 6363, 6364, 6446, 6464, 6465, 6556, 6565, 6666, 6667, 6767, 6768, 6776, 6789, 6868, 6869, 6886, 6969, 6970, 6996, 7000, 7007, 7071, 7117, 7171, 7172, 7227, 7272, 7273, 7337, 7373, 7374, 7447, 7474, 7475, 7457, 7575, 7576, 7667, 7676, 7677, 7777, 7778, 7878, 7887,7979, 7980, 7997, 8000, 8008, 8080, 8081, 8182, 8228, 8282, 8283, 8338, 8388, 8384, 8448, 8484, 8558, 8585, 8586, 8668, 8686, 8687, 8778, 8787, 8788, 8888, 8889, 8989, 8998, 9000, 9009, 9090, 9091, 9119, 9191, 9192, 9229, 9292, 9293, 9339, 9393, 9394, 9449, 9494, 9495, 9559, 9595, 9596, 9669, 9696, 9697, 9779, 9797, 9798, 9889, 9898, 9899, 9999.

(घ) ऐसी किसी संख्या के आरक्षण हेतु, जो इस उप नियम के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट नहीं है, आरक्षण के लिये अनुक्रमांक के क्रम में अन्त में समनुदेशित संख्या से एक हजार संख्याओं के भीतर प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये रुपये 2,000 फीस का भुगतान करने पर आरक्षित किए जाएंगे.

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा :—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण संख्या का आरक्षण "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के सिद्धांत के आधार पर करेगा.

(ख) यदि किसी एक दिन में ऊपर यथा विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये एक से अधिक आवेदन हो तो रजिस्ट्रीकरण संख्या का आरक्षण फीस की रकम की भुगतान के संबंध में रसीद के अनुक्रमांक के अनुसार किया जाएगा.

(ग) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 47 के अधीन प्रारूप 20 में आवेदन के साथ यान को प्रस्तुत करने पर और मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों का मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिये पालन किए जाने पर आरक्षित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवंटित किया जावेगा.

(घ) यदि रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के आरक्षण से तीन माह के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर के आवंटन के लिये यान को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आरक्षण चिन्ह का आरक्षण स्वयमेव निरस्त हो जायेगा.

(ङ) रजिस्ट्रेशन चिन्ह के आरक्षण के लिए संदत्त की गई रकम वापस नहीं की जायेगी.

(च) उपरोक्त खण्ड (घ) के अधीन निरस्त किया गया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा पुन: आरक्षित कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. राव, अवर सचिव.

रायपुर दिनांक 17 मई 2001

क्रमांक 309/परिवहन/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद के 348 के खण्ड 3 के अनुशरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 17-5-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. राव, अवर सचिव.

Raipur, the 17th May 2001

NOTIFICATION

No. 307/Tr. Deptt./2001.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 211 read with section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 for said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggetion which may be received by the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Transport Department, Raipur during office hour at D.K.S. Bhawan Room No. 209 from any pers with respect to the said draft the aforsaid date will be considered by the State Government.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules—
(1) After rule 55, the following rule shall be inserted, namely :—
"55-A Allotment of registration mark" :

(1) On receipt of an application made in writting by any person to the registering authority for reservation of registration mark, the registering authority shall reserve the registration mark in the following manner :—

(a) Registration mark from 01 to 09 in any series prevalent within the jurisdiction or registering authority, shall be resereved on payment of fee of Rs. 15,000 (Rupees Fifteen thousand) for each registration mark.

(b) For reservation of registration mark from number 10 to 100 in any series prevalent within the jurisdiction of of the registering authority, on payment of fee of Rs. 12,000 (Rupees Twelve thousand) for each registration mark.

(c) For reservation of registratiom mark number 101, 111, 123, 200, 202, 222, 234, 300, 303, 333, 345, 400, 404 444, 456, 500, 505, 555, 567, 600, 606, 666, 678, 700, 707, 777, 786, 789, 800, 808, 888, 900, 909, 999, 1000, 1001, 1010, 1011, 1111, 1112, 1212, 1213, 1221, 1234, 1313, 1314, 1331, 1414, 1415, 1441, 1515, 1516, 1551, 1616, 1617, 1661, 1717, 1718, 1771, 1818, 1819, 1881, 1919, 1929, 1991, 2000, 2002, 2020, 2021, 2112, 2121, 2122, 2222, 2223, 2323, 2324, 2334, 2345, 2424, 2425, 2442, 2525, 2526, 2552, 2626, 2627. 2662, 2727, 2728, 2772, 2828, 2829, 2882, 2929, 2930, 2992, 3000, 3003, 3030, 3113, 3131, 3132, 3223, 3232, 3233, 3333, 3334, 3434, 3435, 3443, 3456, 3535, 3536, 3553, 3636, 3637, 3663, 3737, 3738, 3773, 3838, 3839, 3883, 3939, 3940, 3993, 4000, 4004, 4040, 4041, 4114, 4141, 4142, 4224, 4242, 4243, 4334, 4343, 4344, 4444, 4445, 4545, 4546, 4554, 4567, 4646, 4647, 4664, 4747, 4748, 4774, 4848, 4849, 4884. 4949, 4950, 4994, 5000, 5005, 5050, 5051, 5115, 5151, 5152, 5225, 5252, 5253, 5335, 5353, 5354, 5445, 5454, 5555, 5556, 5656, 5657, 5665, 5678, 5757, 5758, 5775, 5858, 5859, 5885, 5959, 5960, 5995. 6000, 6006, 6060, 6061, 6116, 6161, 6162, 6226, 6262, 6263, 6336, 6363, 6364, 6446, 6464, 6465, 6556, 6565, 6666, 6667, 6767, 6768, 6776, 6789, 6868, 6869, 6886, 6969, 6970, 6996, 7000, 7007, 7070, 7071, 7117, 7171, 7172, 7227, 7272, 7273, 7337, 7373, 7374, 7447, 7474, 7475, 7557, 7575, 7576, 7667, 7676, 7677, 7777. 7778, 7878, 7887, 7979, 7980, 7997. 8000. 8008. 8080. 8081. 8182, 8228. 8282. 8283. 8338, 8383, 8384, 8448, 8484, 8558, 8585, 8586, 8668, 8686, 8687, 8778, 8787, 8788, 8888, 8889, 8989, 8998. 9000, 9090, 9091, 9119, 9191, 9192, 9229, 9292, 9293, 9339, 9393, 9394, 9449, 9494, 9495, 9559, 9595, 9596, 9669, 9696, 9697, 9779, 9797, 9798, 9889, 9898, 9899. 9999, on payment of fee of rupees 10,000 (Rupees Ten thousand) for each registration mark.

(d) For reservation of any other number not specified in sub-clause (a), (b) and (c) of this sub-rule within thousand numbers from the last number assigned in serial order on payment of fee of Rs. 2,000 (Rupees Two thousand) for each registration mark.

(2) The registering authority while reserving the registration mark on the application of any person shall strictly addere to the following guidlines :—

(a) The registering authority shall reserve the registration mark on the basis of 'first come first served' principle.

(b) If there is more than one application on a day for particular registration of registration mark shall be done in accordance with the serial number on the cash receipt regarding payment of the amount of fee.

(c) The registration mark reserved shall be alloted on production of the Vehicle alongwith the application in Form-20 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and when the vehicle is found complying with the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988 and the rules made thereunder for registration of a Motor Vehicle.

(d) The reservation of registration mark shall stand automatically cancelled if the vehicle is not produced for allotment of registration number within three months from the date of reservation of registration mark.

(e) The amount of fee paid for reservation of registration mark shall not be refundable,

(f) The registration mark cancelled under clause (d) can be re-reserved by the registering authority in accordance with the above procedure.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. RAO, Under Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.